फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्री कंकरलाल बनाम तहसीलदार मांडल

केरस्म मुकदमा प्रा. पत्र धारा 136 R.T.A नं0 124 सन् 2021

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
.9.21	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 2-10-21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
3-12-21	पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 केम्प ग्राम पंचायत आलमास मे पेश हुई । तहसीलदार मांडल द्वारा प्राप्त मौका पर्चा को शामिल पत्रावली किया गया प्रार्थीगण की आराजीयात ग्राम केरिया परवार हल्का केरिया तहसील मांडल मे स्थित खाता नं. 32 मे आराजी नं 1832, 1835, 1836, 1837, 3051/1873, 3050/1873 3055/1687, 1838, 1868, 1873 एंव खाता नं. 174, 255 उक्त आराजीयात जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थीगण एंव अन्य खातेदारो के नाम दर्ज रेकार्ड है, जिसके साबिक नंम्बर 1887/2 1881, 1885, 1882, थे, जिसके उत्तरी दिशा मे साबिक आराजी नं 1878 व 1879 गै. मु. रास्ता स्थित है जिसके वर्तमान आराजी नं. 1707 व 1708 गै. मु. रास्ता है परन्तु सेटलमेर के बाद बने गये नये नक्शे मे साबिक नक्शा अनुसार ही दर्ज होना चाहिए था। साबिक नक्शे मे प्रार्थीगण की जो साबिक आराजियात [illegible] साबिक आराजियात के मध्य कोई रास्ता तरमीम [illegible] सेटलमेन्ट आपरेशन के दौरान जहाँ सेटलमेन्ट अधिकारियो को किसी प्रकार का नवीन इन्द्राज करने का अधिकार नहीं होते हुए भी उपरोक्त साबिक आराजी नं. 1878 व 1879 गै. मु. रास्ते को प्रार्थीगण की आराजियात के मध्य राजस्व नक्शे मे तरमीम कर दिया, जब कि वास्तव मे उपरोक्त रास्ता नवीन नक्शे मे साबिक आराजी नं. 1887/2 जिसके की वर्तमान मे आराजी नं. 3055/1687 है, के उत्तरी दिशा मे साबिक	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2022.01.06 13:35:10 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व ता० अहकाम जो हुक्म की तामील मे जारी
	नक्शे अनुसार आराजी नं० 1707 व 1708 गै०मु० रास्ते को तरमीम किया जाने का निवेदन किया। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा तहसीलदार द्वारा पेश की गयी मौका पर्चा रिपोर्ट का अध्ययन किया जिससे जाहिर आया कि वास्तव मे सेटलमेन्ट अधिकारी द्वारा गलती हुई है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित मे स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम केरिया पटवार हल्का केरिया तहसील माण्डल के साबिक आराजी नं० 1887/2 जिसके वर्तमान मे आराजी नं० 3055/1687 है, के उत्तरी दिशा मे साबिक नक्शे अनुसार आराजी नं० 1807 व 1808 गै०मु० रास्ते को तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार माण्डल राजस्व रेकार्ड मे गै० मु० रास्ते को दर्ज करे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार को भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। **डॉ. पूजा सक्सेना** **उपखण्ड अधिकारी माण्डल** **प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021** Signature Not Verified Digitally signed by Pooja Saxena Date: 2022.01.06 13:35:10 IST Reason: SelfAttested	